203

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3427–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनॉक 26–9715 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण कमांक 37/11–12 निगरानी

पर्वत सिंह पुत्र पुरूषोत्तम कुशवाह
ग्राम मुकुन्दपुर तहसील त्योंदा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

रामेश्वर पुत्र देवीप्रसाद विश्वकर्मा
ग्राम मुकुन्दपुर तहसील त्योंदा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 14 – 2 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 37/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–9–15 विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मुकुन्दपुर में कोटवार पद की पूर्ति हेतु तहसीलदार त्योंदा ने आवेदन आमंत्रित किये। कुल दो आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण कमांक 44 अ–56/10–11 में पारित

आदेश दिनांक 28-4-11 से अनावेदक को कोटवार के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा के समक्ष अपील क0 78/10-11 प्रस्तुत हुई, जिसमें आदेश दिनांक 29-12-11 पारित करके तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष निगरानी कमांक 61/2011-12 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनॉक 9-1-12 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 37/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-9-15 से अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 9-1-12 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-12-11 निरस्त कर दिया गया एंव तहसीलदार त्योंदा का प्रकरण कमांक 44 अ 56/10-11 में पारित आदेश दिनांक 28-4-11 यथावत् रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों को देखा गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम मुकुन्दपुर के लिये नवीन कोटवार का पद कलेक्टर व्दारा श्रृजित किया गया था, जिसकी पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने पर आवेदक तथा अनावेदक ने उम्मीदवार के रूप में भाग लिया है । तहसीलदार त्योंदा के आदेश दिनांक 28-4-11 एंव अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा के आदेश दिनांक 29-12-11 के परीक्षण पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28-4-11 से अनावेदक को कोटवार पद पर नियुक्त किये जाने के लिये इसलिये

योग्य माना है कि वह ग्राम मुकुन्दपुर का निवासी है जिससे वह अधिक योग्य है । तहसीलदार के आदेश का जब अनुविभागीय अधिकारी ने परीक्षण किया है - विवेचित किया है कि तहसीलदार ने पर्वत सिंह व्दारा कोटवारी की उम्मीदवारी को जो आवेदन दिया है वह पंजी के सरल क्रमांक 170 पर दर्ज है किन्तु अनावेदक रामेश्वर का आवेदन प्रकरण में संलग्न नहीं किया है । मामला प्रकरण में आवेदन संलग्न करने का नहीं है अपितु मूल मामला दोनों पक्षों की उम्मीदवारी एंव दोनों पक्षों का कोटवार पर नियुक्ति का है एंव तहसीलदार ने कोटवार पद पूर्ति के लिये जो विज्ञप्ति निकाली है अनुविभागीय अधिकारी व्दारा की गई विवेचना अनुसार विज्ञप्ति की प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं कराई गई है और न ही तहसील न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई गई है ग्राम में मुनादी भी नहीं कराई गई है ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञप्ति का समुचित प्रकाशन न होने से समस्त ग्रामवासियों को एंव ग्राम पंचायत वासियों को तहसीलदार व्दारा की जा रही कोटवार पद पूर्ति की सम्यक जानकारी नहीं हुई है इसके वाद भी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 37/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-9-15 से तहसीलदार व्दारा अनावेदक की कोटवार पर की गई नियुक्ति को उचित मानना ठीक नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 37/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-9-15 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 37/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-9-15 , अपर कलेक्टर विदिशा व्दारा निगरानी क्रमांक 61/11-12 में पारित आदेश

दिनाँक 9-1-12 , अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण कमांक 78/10-11 में पारित आदेश दिनांक 29-12-11 तथा तहसीलदार त्योंदा व्दारा प्रकरण कमांक 44 अ 56/10-11 में पारित आदेश दिनांक 28-4-11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव प्रकरण तहसीलदार त्योंदा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह कोटवार पद की पूर्ति हेतु नये सिरे से विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर एंव आवेदन पत्र आमंत्रित करके हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः कोटवार के रिक्त पद की पूर्ति करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर